त्रेषक

विष्णुचन्द वैश्य, सिविल जज(सी0डि0), शाहजहॉपुर।

सेवा में.

श्रीमान् महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

231/I wol-3-14

माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहॉपुर।

विषय:- प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक आफ इंडिया के ब्रांच टेढी पुलिया, लखनऊ से ऋण लेकर आर्षा इन्फाडेवलपर्स प्रा0लि0 लखनऊ से माधवग्रीन प्रोजेक्ट ग्राम लौलाई जनपद लखनऊ में 242.50 वर्गमीटर का प्लाट सं0-बी-107 क्रय किए जाने की सूचना प्रेषित किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

अति विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि प्रार्थी के सैलरी एकाउंट सं0--30613665548 भारतीय स्टेट बैंक में प्रद्मनाभन समिति की सिफारिश से बढ़े वेतन का एरियर वाउचर सं0--ए.20/21.06.201 क् 4,17,511/-- तथा अर्जित अदङाश के नकरीकरण का रूपया मु0 65,617 / – रूट जिसे प्रार्थी ने बचाकर रखा था। प्रार्थी ने आर्षा इन्फ्रा डेवलर्स प्रा0लि0 लखनऊ सं उनके द्वारा विकसति किए जा रहे माधवप्रीन प्रोजेक्ट ग्राम लौलाई में भूखण्ड सं0-बी-107 क्षेत्रफल 242.5 वर्गमीटर क्य करने हेतु सम्पर्क किया और उक्त डेवलपर्स ने उक्त भूखण्ड की कुल कीमत रू० 24,00,000 / -(चौबीस लाख रूपये) में बताया और 30 प्रतिशत डाउनपेमेंट रू० 7,20,000 / –की मांग की। मेरे द्वारा अपने सैलरी एकाउंट सं0-30613665548 ा.रतीय स्टेट बैंक के कास्ड चैक सं0-432763 दिनांकित—31.10.2013 के द्वारा रूपये 7,20,000/- उक्त डेवलपर्स को अदा किया गया, जिसके सम्बंध में उक्त डेवलपर्स ने त्सीद सं0-610 दिनांकित 31.10.2013 निर्गत कियः। भूखण्ड क्य किए जाने की शेष धनराशि को मेरे द्वारा बैंक आफ इंडिया ब्रांच टेढी पुलिया लखनऊ से ऋण द्वारा लिया जाना १ । ऋण की प्रोसेसिंग के द्वारा उक्त बैंक ने अवगत कराया कि ऋण की स्वीकृति भूखण्ड ाय करने एवं उसपर मकान निर्मित करने के लिए की जायेगी, जिसके लिए कुल ऋण की धनराशि रू० 21,64,817 / –(इक्कीस लाख नौंसठ हजार आठ सौ संत्रह मात्र) स्वीकृत करना होगा और सर्वप्रथम उक्त बैंक रू० 16,80,000 / – रू० के ऋण की धनराशि भूखण्ड क्रय करने के लिए देगा और शेष ऋण की धनराशि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर मकान निर्माण प्रारम्भ करने पर डिस्वर्स किया जायेगा। बैंक ने 7 माह का मोरैटोरियम् पीरिएड रखते हुए केवल ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए किया है और तत्पश्चात रू0 21,419 / – की किश्त प्रतिमाह प्रारम्भ होगी। ऋण अदायगी 234 ईजी मन्थली स्टालमेंट के माध्यम से की जायेगी, जो बैंक आफ इंडिया शाखा टेढी पुलिया, लर्खनऊ में मेरे द्वारा खोले गये खाता सं0-682110110009322 में से प्रतिमाह बैंक आफ इंडिया के गृह-ऋण खाता सं0-682175110000130 में प्रतिमाह जमा हो जायेगी। प्रार्थी के उक्त ऋण की धनराशि में से उक्त बैंक ने मु0 16,80,000 / – रू0 सीधे विकेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स के खाते में डाल दिया है। अपने सैलरी एकाउंट से मु0 1,78,000/-रू0 नेफ्ट के माध्यम से दिनांक-27.12.2013 को विकेता के खाते में अंतरित किया गया, जिसमें से रू० 1,68,000 / –की धनराशि बैनामा के लिए स्टाम्प खरीदने के लिए थी और 10,000/-रू० की धनराशि बैनामा की फीस के मद में थी। विकेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० रजिस्टर्ड आफिस 2/334 स्टेशन रोड विवेक खण्ड गोमती नगर लखनऊ के निदेशक श्री मथुरेश श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थी तथा प्रार्थी की पत्नी श्रीमती निधी गुप्ता के हक में दिनांक-17.01.2014 को वहीं सं0-1 जिल्द सं0-14848 पृष्ट सं0-123 से 150 पर क्रमांक 628 पर रिजस्ट्रीकृत बैनामा उप-निबंधक, द्वितीय के कार्यालय में निष्पादित किया गया। उक्त के सम्बंध में सूचना पाननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर न0-25/एडिमिन(ए) दिनांकित 13 जुलाई 1998 के अनुसार निर्धिति प्रारूप पर निम्नवत् है:-

1 सेवा में नियुक्ति की 24.12.2003 तिथि

aush

QQUA-

ख्यासाहित भूभी १५ जिला जज

वाह्य हो प्र

01-03-14

- 2 वर्तमान कुल वेतन और कुल वेतन 86,761/—रू0, कटौती रू0 12,400/--रू0, जो वेतन हस्तगत होता कुल वेतन जो हस्तगत होता है, रू0 74,361/—रू0 है।
- अय किए गये अचल दिनांक 17.01.2014 को आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0िल0 से ग्राम सम्पित्तियों का विवरण लौलाई,लखनऊ के माधवग्रीन प्रोजेक्ट में प्लाट सं0 बी0—107 और उस पर व्यय की क्षेत्रफल 242.5 वर्गमीटर रूपये 24,00,000/— मृत्य में क्वय गई सम्पूर्ण धनराशि का किया गया, जिससे मु0 16,80,000/— रू0 का ऋण बैंक आफ विवरण इंडिया, टेडी पुलिया, लखनऊ से मु0 7,20,000/— रू0 अपने सैलेरी एकाउण्ट से दिए गये एवं 1,78,000/— रू0 सेलरी एकाउंट से स्टाम्प शुल्क व मु0 10,000/— रू0 व बैनामा की फीस मद में दिया गया।
 - 4 क्या कोई कर्ज या अग्रिम नहीं माननीय उच्च न्यायालय से लिया गया।
 - 5 क्या कोई कर्ज बैंक से प्लाट क्य हेतु कुल ऋण 21,64,817 / —रू० बैंक आफ इंडिया लिया गया। की ब्रांच टेढी पुलिया, लखनऊ से स्वीकृत कराया गया है, जिसमें से मु0 16,80,000 / —रू० बैंक ने डिसवर्स किया है और पश्चातवर्ती प्रक्रम पर शेष धनराशि डिस्वर्स की जायेगी, जिसका भुगतान 234 ईजी मन्थली स्टालमेंट के माध्यम से किया जायेगा, प्रतिमाह 21,419 / —रू० करेगा।
- 6 सेकेण्ड हैण्ड कार आदि लागू नहीं है। कय किए जाने का विवरण
- 7 क्य की गई सम्पत्ति का दिनांक—17.01.2014 को आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्राण्ति0, पूर्ण विवरण लखनऊ से ग्राम लौलाई परगना लखनऊ भू—खण्ड सं0—बी—107 मिनजुमला खसरा सं0—72, क्षेत्रफल 242.5 वर्गमीटर, फेजाबाद रोड व निजामपुर मल्हौर लौलाई मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूर चौहद्दी पूरब 9 मीटर चौडी सरक, पश्चिम भखण्ड सं0—बी—80, उत्तर भूखण्ड सं0—108ए, दक्षिण भूखण्ड सं.—बी—106 माधवग्रीन प्रोजेक्ट में नु0 24,00,000/—रूपया मूल्य की सम्पत्ति बैंक आफ इंडिया की टेढी पुलिया, लखनऊ से ऋण लेकर क्य किया गया।
- 8 विकेता का पूर्ण पता

आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि० लखन्छ कार्पोरेट आई०डी० नं0-यू0-4500-यू0पी0-2009पीटीसी-038233-2009-2010, कार्यालय-2/334, विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निदेशक-मथुरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रमाशंकर श्रीवास्तव।

- 9 क्या विकेता नियमित जी हां। ख्याति प्राप्त है।
- 10 क्या विकेता का न्यायिक नहीं।
 अधिकारी से किसी प्रकार
 का कोई सम्बंध में है, या
 विकेता का कोई वाद
 न्यायिक अधिकारी
 के यहां विचाराधीन
 है, या न्यायिक अधिकारी
 द्वारा निणींत किया गया
 है।

11 खर्च किए गये धनराशि प्रार्थी की सैलरी एकाउंट सं0—30612665548 भारतीय रटट का स्रोत और उसके बैंक में पद्मनाभन समिति की शिफारिश से बढ़े वेतन सम्बंध में संगत प्रलेख। का ऐरियर बाउचर नं0—ए20/21.06.2011 के ट्रेजरी अलीगढ़

के माध्यम से रूपये 4,17,511/— तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण का रूपया मु० 65,617/-रू० की धनराशि जमा हुई थी, जिसे प्रार्थी बचाकर रखा था। मेरे द्वारा अपने सैलरी एकाउंट सं0-30613669548 के भारतीय स्टेट बैंक के कारुड चैक सं0-432763 दिनांकित-31.10.2013 द्वारा रू0 7,20,000 / – उक्त डेवलपर्स ने रसीद दिनांकित-31.10.2013 निर्गत किया भूखण्ड क्य की जाने की शेष धनराशि बैंक आफ इंडिया ब्रांच टेढी पुलिया, लखनऊ से सर्वप्रथम मु० 16,80,000 / – रू० के ऋण की धनराशि भूखण्ड क्य करने के लिए सीधे विकेता आर्षा इन्फा डेवलपर्स के खाते में डाल दिया गया। मैंने अपने सैलरी एकाउंट सं0-30613665548 से मु0 1,78,000 / - नेफ्ट के माध्यम से दिनांक-27.12.2013 को विकेता के खाते में अंतरित किया गया, जिसमें मु0 1,68,000 / - रू0 की धनराशि बैनामा के लिए स्टाम्प खरीदने के लिए थी और 10,000/-रू0 की धनराशि बैनामा की फीस के मद में थी। इस प्रकार भुगतान मेरे खाता सं0—30613665558 भारतीय स्टेट बैंक एवं वैंक आफ इंडिया से ऋण प्राप्त करके किया गया।

संलग्नक:-

1-विकेता के नाम मेरे द्वारा जारी मु0 7,20,000/-रू0 के एकाउन्टपेयी चैक सं0-432763

2—उक्त के सम्बंध में विकेता द्वारा जारी रसीद सं0—610 दिनांकित—31.10.2013 की छायाप्रति। 3—नेफ्ट द्वारा मेरे खाता सं0—30613665548 भारतीय स्टेट बैंक से मु0 1,78,000/—रू0 विकेता को भेजने के सम्बंध में, प्रपत्र दिनांकित—27.12.2013 की छायाप्रति।

4—सैलरी रजिस्टर, जो यह दर्शाता है कि पद्मनाभन समिति की सिफारिश पर बढ़ा वेतन

5-बैंक आफ इंडिया शाखा टेढी पुलिया, लखनऊ द्वारा निर्गत ऋण के सम्बंध में प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

6—बैनामा दिनांकित 17.01.2014 एवं तितम्मा विलेख दिनांकित—25.02.2014 की छाथाप्रति। सूचना माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक:01.03.2014

े (विष्णुचन्द्रः वेश्य) सिविल जज, सी०डि०, शाहजहाँपुर।

Down